



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.09.2025

❖ **आबकारी विभाग व थाना रनियां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 202.5 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.09.2025 को आबकारी विभाग व थाना रनियां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की कार्यवाही करते हुये उमरन मोड हाइवे के पास से समय करीब 18.20 बजे अभियुक्त अंकित गुप्ता पुत्र गोरेलाल गुप्ता निवासी ग्राम उमरन थाना रनियां कानपुर देहात को गाड़ी संख्या UP 77 AJ 8479 से परिवहन की जा रही 18 पेटी देशी शराब {810 टेद्रा पैक, (पौवा), कुल 202.5 लीटर- अनुमानित कीमत 81,000/-} के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 158/2025 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं उपरोक्त स्वीफ्ट गाड़ी के जब्तीकरण हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

अंकित गुप्ता उम्र 27 वर्ष पुत्र गोरेलाल गुप्ता निवासी ग्राम उमरन, थाना रनियां, कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 18 पेटी देशी शराब {810 टेद्रा पैक, (पौवा), कुल 202.5 लीटर- अनुमानित कीमत 81,000/-}
2. स्वीफ्ट कार नं0 UP 77 AJ 8479 (जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

आबकारी टीम व थाना रनियां पुलिस